बेटी

गर्भ में बेटी की हत्या कभी नहीं कभी नहीं

HARYANA STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

एस०सी०ओ० 142-143, सैक्टर 34-ए, चण्डीगढ़।

फैक्स: 0172-2604055. ई-मेल: hslsa@chd.nic.in.

वैबसाईट: www.hslsa.nic.in

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

मुख्य मार्ग दर्शक

माननीय न्यायमूर्ति श्री विजेन्द्र जैन
मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

कार्यकारी अध्यक्ष

माननीय न्यायमूर्ति श्री आदर्श कुमार गोयल
न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

सदस्य सचिव

श्री शेखर धवन
(अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश)

प्रकाशक :

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
एस.सी.ओ. न. 142-143, सैक्टर 34-ए, चण्डीगढ़-160022
टेलीफोन/फैक्स न.: 0172-2604055, ई मेल : hslsa@chd.nic.in
वेबसाईट: www.hslsa.nic.in

मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्।
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत।।

हे भरतपुत्र!
ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्त्रोत है
और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ,
जिससे समस्त जीवों का जन्म सम्भव होता है।

(भगवान श्रीकृष्ण–श्रीमद्भगवद्गीता–चौदहवां अध्याय–तीसरा श्लोक)

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः।
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता।।

हे कुन्तीपुत्र! समस्त प्रकार की जीव-योनियाँ
इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा सम्भव हैं,
और मैं उनका बीज-प्रदाता पिता हूँ।

(भगवान श्रीकृष्ण-श्रीमद्भगवद्गीता-चौदहवां अध्याय-चौथा श्लोक)

विषय सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	भ्रूण हत्या क्या है ?	1-2
2.	अजन्मी बेटी का खत मॉ के नाम	3-4
3.	भ्रूण हत्या	5-6
4.	देखिऐ मेरी फजीहत (अपमान).....मेरे प्रति	7-8
5.	तीसरी बार नहीं	9-10
6.	मायके से बेटियों की डोलियां उठती हैं और ससुराल से जनाजा	11-12
7.	नारी भ्रूण हत्या का कारण	13
8.	नारी तेरे रूप अनेक	14-15
9.	रिश्ता एक पेटी से	16
10.	त्रिशक्ति की शक्ति	17-18
11.	भ्रूण हत्या पाप है, साथ ही अपराध है।	19-21
12.	सात समंदर पार भी बेहाल	22-23
13.	प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व निवारक तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 (PNDT Act, 1994)	24
14.	क्या है पीएनडीटी एक्ट	25
15.	हरियाणा नारी विहीन समाज की ओर	26-28

16.	जिलेवार वर्तमान में घटता लिंगानुपात सबसे कम	29
17.	गर्भपात कराने में मां को भी खतरे	30-33
18.	इस कानून की आवश्यकता क्यों हुई ?	34
19.	इस कानून की अन्तर्गत अपराध क्या हैं ?	34-37
20.	भ्रूण हत्या से भविष्य में होने वाली घटनायें ?	38
21.	इस कानून के तहत क्या सुविधाएं हैं ?	39-40
22.	हमें क्या करना है ?	41-42

भ्रूण हत्या क्या है ?

हमारे समाज में स्त्री को ब्रह्मांड की जननी माना गया है। हम सीता माता, सरस्वती और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हरियाणा की कल्पना चावला ने देश का गौरव बढ़ाया है। आज महिलायें हर स्तर पर ऊँचे पदों पर विराजमान हैं। चाहे यह प्रशासनिक, पुलिस, चिकित्सा, अनुसंधान और शिक्षा का क्षेत्र हो। दुभार्गवश, लड़कियों का अस्तित्व खत्म हो रहा है। बालिका लिंग अनुपात निम्न स्तर पर समाज को चेतावनी दे रहा है। आंकड़े बताते हैं कि देश की औसत लिंग अनुपात (0-6 वर्ष) 1961 में 976 से 2001 में 927 हो गई है। राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में 1000 लड़कों के पीछे 819 लड़कियां हैं। कुरूक्षेत्र में ही प्रति 1000 लड़कों में 771 लड़कियां हैं और उसके बाद अम्बाला 782, सोनीपत 788 हैं। महिलाओं की घटती जनसंख्या के पीछे मुख्य कारण कन्या भ्रूण हत्या है। भारत के ज्यादा से ज्यादा लोग प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व निवारक तकनीक का दुरूपयोग लड़की के जन्म को रोकने में करते हैं, राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण (1998-99) के तथ्य उजागर करते हैं कि 33.2 प्रतिशत जनसंख्या लड़कियों के बजाय लड़कों को चाहते हैं और केवल 2.2% जनसंख्या लड़कों के बजाय लड़कियां चाहते हैं।

कुछ चौंकाने वाले तथ्य

- पिछले 50 वर्षों में बाल लिंग (0-6 वर्ष) अनुपात में निरंतर कमी।

वर्ष	लड़कियों की संख्या (0-6 वर्ष की आयु) प्रति हजार लड़कों की तुलना में
1961	976
1971	964
1981	962
1991	945
2001	927

1991 से 2001 तक के 10 वर्षों के दौरान

- 20 लाख भारतीय बालिकाओं की भ्रूण के लिंग चयन के आधार पर जन्म लेने से पहले गर्भ में ही हत्या कर दी गई।
- भारत में बाल लिंग के अनुपात की गिरावट 945 से 927 हुई है।
- हरियाणा राज्य में औसतन बाल लिंग अनुपात 819 है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के बजाय केवल हरियाणा में 50 अंकों की बाल लिंग अनुपात की गिरावट ज्यादा है।
- कुरूक्षेत्र में बाल लिंग अनुपात 771, अम्बाला में 782 और सोनीपत में 788 थी।
- हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तकनीक का दुरूपयोग करने की प्रवृति है। 33.2 प्रतिशत आबादी अधिक

लड़कों की उपेक्षा करती है, जबकि 2.2 प्रतिशत आबादी अधिक कन्याओं की उपेक्षा करती है।

अजन्मी बेटी का खत मॉं के नाम

मम्मी जी,

मैं खुश हूँ रब से अरदास कर रही हूँ कि मम्मी आप भी सुखी रहें। खत इसलिए लिख रही हूं कि मैंने एक सनसनीखेज खबर सुनी है। मम्मी जी, आपको मेरे कन्या होने का पता चल गया है और आप मुझ अजन्मी को जन्म लेने से रोकने जा रही हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। भला, मेरी मम्मी ऐसा कैसे कर सकती है? कोख में ही अपनी लाडली के शरीर पर नश्तरों की चुभन एक मां कैसे सह सकती है।

बस आप एक बार यह कह दीजिए कि यह जो कुछ मैंने सुना सब झूठ है। दरअसल, यह सब सुनकर मैं दहल सी गई हूँ। मेरे तो हाथ भी इतने नाजुक हैं कि डॉक्टर के क्लीनिक की तरफ जाते वक्त आपकी चुन्नी जोर से नहीं खींच सकती। बांहे इतनी पतली और कमजोर हैं सरसों की कच्ची डंठल जैसी कि इन्हें आपके गले में डाल कर लिपट भी नहीं सकती।

मुझे तो एक दवा इस तरह आपके शरीर से फिसला देगी जैसे गीले हाथों से साबुन की टिकिया फिसलती है। ना, मम्मी ना, ऐसा मत करना। खत इसलिए लिख रही हूं कि अभी तो मेरी आवाज भी नहीं है। अरदास भी करूं तो किससे और कैसे ? मुझे जन्म लेने की बड़ी ललक है। अभी तो आपके पैरों में छम-छम नाचना है मुझे। मैं आपका खर्चा नहीं बढाऊंगी। मत लेकर देना मुझे पाजेब। मैं दीदी की छोटी पड़ चुकी पाजेब पहन लूंगी। भैया के तंग हो चुके कपड़े ही ओढ़ लूंगी।

बस एक बार मुझे इस कोख से निकल कर चांद तारों से भरे आपके आसमान तले जीने का मौका भर दीजिए।

मैं आपकी बेटी हूँ। आपकी मुहब्बत की शहजादी हूं मुझे अपने घर में उतर लेने दो मां। बेटा होता तो आप पाल लेती, फिर मुझमें क्या बुराई है? ना-ना आप दहेज से मत डरना। यह सब भुलावा है। एक बेटे के लिए कई बेटियों की बलि, आखिर यह महापाप भी तो आप पर और आपके चहेते बेटे पर चढ़ेगा।

बस मुझे जन्म दे दो। कुछ कोशिश आप करना, कुछ मैं करूंगी। पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। बस फिर दहेज क्या चीज है। इसका भय तो फुर्र हो जाएगा। देखना मेरे हाथों में भी मेंहदी सजेगी, शगुन भरी डोली निकलेगी और आपके आंगन में चिड़ियों

का चंबा बनकर उड़ जाऊंगी। आप अभी से मुझे मत मारो। अपनी बगल की डाल पर फूल बनकर खिल लेने दीजिए।

भ्रूण हत्या

खत्म जो करना ही था तो,
उत्पन्न किया क्यूं मेरा अंश?
बेटों की चाह में कैसे,
मां-बाप ही बन गये हैं कंस।
क्यूं सोचते हो तुम ऐसा,
कि बेटा वंश चलायेगा।
गर बेटा जो नालायक निकला,
सब मिट्टी में मिल जायेगा।
बेटी को मौका देकर देखो,
वो जग में नाम कमायेगी।
थोड़ा सा मिला सहारा उसे तो,
रानी झांसी कहलायेगी।
कल्पना चावला को याद करो तुम,
हरियाणा की वो शान बनी।
सरोजनी और इंदिरा गांधी की,
सारी दुनिया में पहचान बनी।
सानिया मिर्जा और ऐश्वर्या को,
सारी दुनिया जानती है।
किरण बेदी और अंजू जॉर्ज को,
भारत की बेटी मानती है।

बेटियां बेटों से बढ़कर
रखती तुम्हारी आन हैं।
मां-बाप और अपनी धरती में
अटकी उनकी जान है।।

* * *

जाग जाओ ए दुनिया वालो,
नहीं तो फिर पछताओगे।
कन्याओं की हत्या करके,
बहुएं कहां से लाओगे?
नारी की जो कमी हो गई,
कहां से पैदा होंगे नर?
डोलियां खाली रह जायेंगी,
वधू की चाह में भटकेगा वर....

जो बिन सोचे भ्रूण गिराएँ
वो सच्चे माँ बाप नहीं।

देखिऐ मेरी फजीहत (अपमान).....मेरे प्रति

पैदा होते ही मेरे घर में उदासी छा गई।
पूछने पर यों कहा अफसोस डिग्री आ गई।।
छुई मुई बेल ज्यों माता मेरी कुमला गई।
पोती हुई...यह खबर सुन, दादी
मेरी झुन्झला गई।।
ठेकरा फोड़ा गया, कहां थाली की झन्कार है।
कैसी अमंगल की घड़ी, चहूं ओर हा-हाकार है।।
मेरे जन्म के उपलक्ष्य में, ढ़ोलक तलक बजती नहीं।
सब राग रंग फीके पड़े, महफिल कभी सजती नहीं।।
बधाई के रूप में देना मिठाई पाप है।
मेरा जन्म लेना जगत में मानो कोई सन्ताप है।।
एक तरफ दावा, कि देगी जिन्दगी भर साथ मॉ।
खुद वो अब मायूस है, मुझे फना करने के लिए।।
अपने बने रकीब तो गैरों से क्या गिला।
अपनों से डर मुझे तो सुबह शाम हो गया।।
वो क्या बदल गये कि दुनिया बदल गई।
बदला हुआ ज़हां का अब निज़ाम हो गया।।
बीमार गर मैं पड़ गई तो मुफ्त की हरड़ें दवा।
मौसमी अंगूर कहां, मिलती नहीं ताजी हवा।।

जैसे तैसे बच गई तो यह मेरी तकदीर है।
मेरे लिए संतान की दिल में नहीं वो पीर है।।

आफत समझ पाले मुझे टाले समझ घर की बला।
मैं भी प्रभु की देन हूँ कुछ ध्यान दो होगा भला।।

कोई भेड़ बकरी की तरह बेचे मुझे बाजार में।
कोई आटे साटे में लपेटे डुबोकर मझधार में।।

मेरी आत्मा की आह से चारों दिशाऐं जल रहीं।
मेरी दुःख ज्वाला ताप से फौलाद तक भी गल रही।।

करूणा जनक 'हा' जिन्दगी का असर होता काल पर।
देवता भी क्या असुर भी रोते हैं मेरे हाल पर।।

हिंसक पशु भी देख लो मुझ पर ना करते वार हैं।
मानव जगत की पड़ रहीं कैसी अनोखी मार है।।

– डॉ. नोबत राय सोनी
प्रधान मैढ़ क्षत्रीय स्वर्णकार सभा (रजि०), नारनौल

शिशु की रक्षा धर्म है,
जो न करे बेशर्म है,

तीसरी बार नहीं

कान्ता आधुनिक थी। शिक्षित थी। एक अच्छे पद पर अच्छा वेतन पा रही थी। परन्तु परम्पराओं की बेड़ियों से मुक्त कैसे हो सकती है एक भारतीय नारी।

पति तो बस मां के हाथ का स्वचालित खिलौना था। बार बार वह सास तथा पति के भय से अपनी निरीह बच्चियों को कसाई की तरह कटवा चुकी थी। अब तीसरी बार फिर आधुनिक विज्ञान ने गर्भ में कन्या होने की घोषणा कर दी।

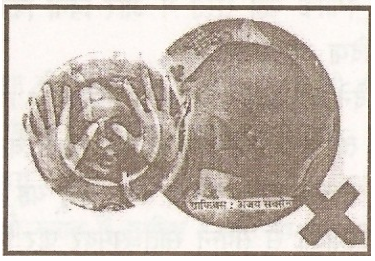

कान्ता पतों की तरह कांप रही थी। बेटी रो-रोकर कह रही थी मां! मेरे लाल रिबन गूंथना। मां! तेरा भला होगा। मुझे संसार देखने दे। मां! मैं कल्पना चावला बन सकूं। मां! इन्दिरा गांधी भी तो स्त्री थी। मां! मेरी शौहरत भी वंश का नाम चमकायेगी।

अचानक उस मां की तंद्रा टूटी-कांता। चलो-न, आज गर्भपात का दिन है। तैयार हो जाओ।

कान्ता बिफरी कदापि नहीं, दो बार मैं यह पाप कर चुकी हूं। अब नहीं मेरी ममता-मेरी गोद में खेलेगी।

सास-घुड़ककर - अरी कलमुंही! करवाती कैसे नहीं गर्भपात। हमें नहीं चाहिए यह परचट।

कान्ता - मां जी, परचट तो आप भी हो मैं भी हूं। परचट के बिना घर की लक्ष्मी कौन बनेगा।

सास - कहा ना मानने का अंजाम जानती है।

कान्ता - क्या होगा।

सास - बस मेरा बेटा तुझे छोड़कर दूसरी शादी करेगा।

कान्ता - मैं तैयार हूं। मैं अपनी प्यारी बच्ची का जीवन बहुत महान बनाऊंगी। आप का बेटा करे दूसरी शादी। मैं इस गैर कानूनी कृत्य का मजा भी चखाऊंगी, आप लोगों को। तथा अब कान्ता अपना सामान बांध कर अपनी प्रिय सहेली के घर पंहुच गई थी। गर्भ से स्वर सुनाई दिया - मां! मैं भी बहादुर बनूंगी-मां! तुम धन्य हो।

भ्रूण नष्ट करने वालों को,
भेजो कारागार में।

मायके से बेटियों की डोलियां उठती हैं और ससुराल से जनाजा

दुल्हन बनी हूँ आज या पहने हुए कफन।
मुझसे न पुछिए कि होंगी मैं किस जगह दफन।।
गैरों से तकाजा क्या, अपनों से सितम होगा।
मेरी इज्जत के रखवाले को भी मुझ पर न रहम होगा।।

हर मोड़ हर सफर पर, गम से जुड़ेगा रिश्ता।
खुशियों की सारी राहें, मेरी सब मिटा चुकुर्गी।।
कब तक मैं समझूं अपना, मेरी कुछ समझ न आए।
मेरे पास जो भी होगा, सब कुछ लुटा चुकुंगी।।

दिल दे दिया सनम को, तन भी दिया इंमा भी।
मैं जिन्दगी भी दूंगी, कोई चीज़ ना छुपाई।।
सबको गिला है मुझसे, किससे गिला करूं मैं।
लसिये (उल्हाना) हजार सुनके, आखिर मौत को गले लगाई।।

समझूं किसे मैं अपना, मुझे हमसफर न समझे।
बेदर्द जमाने से मैं, किस किस को दूं दुहाई।।
फिर कहेगी दुनिया सारी, आदत में कुछ कमी थी।
मरने के बाद मेरी दिखेगी न परछाई।।

बेचारी लड़कियां इन्हीं तरह की तमाम बातों को अपने सीने से लगाए हुए ससुराल आ जाती हैं और अपने घर वालों की इज्जत (मायका पक्ष) बनाए रखने के लिए वह हर परेशानी झेलती

हैं और ज़बान से उफ किए बिना अपनी जान गंवा देती हैं। आप जरा सोचो आज आप जरा से दहेज के लालच में किसी की बेटी, किसी की बहन को सता रहे हैं, जला रहे हैं। कल को आपकी बेटियां व आपकी बहनें बड़ी होंगी क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगें कि उन्हें भी यूं ही तड़फा तड़फा कर मार दिया जाए। जिस तरह से आज आप किसी की बहन या बेटी को अपने लालच के लिए जला कर मार रहे हैं या तलाक का ठप्पा लगाकर जलील करवा रहे हैं मासूम लड़कियों पर तलाक की मोहर लगाकर लोगों के सामने शर्मिन्दा होने पर मजबूर कर रहे हैं। बदनामी के इल्जाम लगाकर घर से निकाल रहे हैं यही सोचकर न कि इस बार इतने बड़े घर से बहू लाएंगे कि पुराना हिसाब चुकता हो जायेगा। और मजे से ऐश करेंगें। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे लालचियों को अपनी लड़की देनी चाहिए या उन्हें एहसास दिलाना चाहिए, प्रायश्चित करवाना चाहिए कि जो उन्होंने किया बहुत गलत किया। लालची लोगों को चाहे जितना दहेज मिल जाए, पर दिलों को सकून नहीं मिल सकता है। घर में खुशहाली नहीं आ सकती। इसलिए मेरी राय तो यही है कि दौलत की चमक के पीछे भागने से तो अच्छा है कि बिना दहेज की मांग किए ऐसी बहू लायें जो कि अपनी अच्छी बातचीत, बड़ों को इज्जत देकर अपने घर को जन्नत नुमा बना दे।

नारी भ्रूण हत्या का कारण

तुम्हें दुल्हन बनाने का अरमान है बेटी,
दुल्हा तेरा खरीदने में लाचार हूँ बेटी।
तुम्हें लगाकर रखता हूँ हर वक्त अपने सीने से,
खून पसीना बहाकर ला पाता हूं दो रोटी ए बेटी।।

कहां से लाऊं मोटर बंगला व बेसुमार दौलत,
जहां भी जाता हूँ दहेज की फरमाईस है बेटी।
नहीं औकात मेरी तुझे मोटर कार देने की,
कैसे तुझे सुहाग का जोड़ा पहनाऊं बेटी।।

दर-दर की ठोकरें खाता हूँ हर रोज तेरे लिए,
भिखारी नाम देके मुझे सभी ललकारते हैं बेटी।
दुनिया का ताना सुनते सुनते मैं बीमार हो गया,
उफ खुदा जाने कब दुल्हन बनेगी मेरी बेटी।।

इस जहां में बेटी का बाप बनना भी गुनाह है,
उस गुनाह का भी मैं हकदार हूँ ए बेटी।
काश मेरी किस्मत में भी दौलत का अम्बार होता,
मैं भी शानौ शौकत से रूखसत करता अपनी बेटी।।

अपने ही हाथों तुझे पिलाता हूँ जहर का प्याला,
अब तेरा आखिरी घर कब्रिस्तान है बेटी।
दहेज और समाज ने तुझे मारने पर मजबूर किया,
इस जहां को छोड़कर मैं भी तेरे पास आता हूँ बेटी।।

नारी तेरे रूप अनेक

औरत सिर्फ शब्द ही जाना। इसकी व्याख्या करना कठिन है। औरत एक मॉ, एक बहन, एक पत्नी (महबूबा) और सभी पोस्ट पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती आई है। फिर भी उसका दर्जा समाज में सबसे नीचा और कमजोर माना जाता है। अगर कोई औरत घर से बाहर अपना जीवन संवारने निकलती है तो यह मर्दों का समाज उस पर उंगलियां उठाता है, उसको बदनाम करने की कोशिश करता है। जरा सोचिए कि जिस मर्द को औरत अपने पेट में नौ माह तक पालती है। अपना खून पिलाके (दूध के रूप में) उसे जवान बनाती है। वही मर्द औरत को कमजोर समझता है। उसकी बेइज्जती करता है तथा उसको अपनी पॉव की जूती समझता है।

औरत त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति है वह कोई भी कुर्बानी हंसते-हंसते दे देती है। पर उस कुर्बानी का औरत को क्या सिला मिलता है - बदनामी, जिल्लत, रूशवाई। क्या खुदा ने औरत को यह सब सहने के लिए ही बनाया है? जरा सोचिए.....

आज औरत न तो समाज में सुरक्षित है और न ही घर में। अखबार खोलकर कर देखें तो दहेज लोभियों द्वारा बहू को जलाकर मारने की घटना पढ़ रहे हैं आखिर क्यों ? क्या खुदा ने यह भी मुसीबत औरत के माथे मढ़ दी है। आज दहेज के चलते-चलते बेटियां बूढ़ी हो रही हैं और लोगों के ताने सुनने को

मिलते हैं। वह कितने रंगीन सपने सजा अपने मॉं-बाप का घर छोड़कर ससुराल जाती हैं। उस घर को अपना घर समझती हैं, उस घर के लोगों को अपना समझती हैं। पर क्या उस घर के लोग (ससुराल पक्ष वाले) भी उस लड़की को अपना समझते हैं - शायद नहीं ? क्योंकि अगर उस घर के लोग उस लड़की को अपना समझते तो उसे ज़हर देकर या उसे जला कर नहीं मारते। मर्द किसी लड़की से शादी करता है तो क्या उस लड़की पर अहसान करता है? क्या औरत सचमुच कमज़ोर है या उसे कमज़ोर बनाया जाता है। सदियों से औरत समाज में उपेक्षा की शिकार होती आ रही है। क्या यह सिलसिला हमेशा चलता रहेगा? क्या खुदा ने औरत के नसीब में दुख ही दुख लिख दिया है।

शादी के बाद विदा होती लड़की जो कि महबूबा, दिलरूबा से नवाजी जाती है, उसकी भी व्यथा सुनिए-कि दहेज कम मिलने पर ननद, सास आदि मिलकर नई नवेली दुल्हन का जीना हराम कर देती हैं। उसे आंखों का तारा बनाने की बजाए घर की नौकरानी बना दिया जाता है। वह सिर्फ गुलाम की जिन्दगी जीने पर मज़बूर हो जाती है और हो भी क्यों न?

शादी के बाद विदाई के वक्त हर मां अपनी बेटी से यही कहती है कि बेटी खुशी हो या गम तुम्हें हंसकर ससुराल में ही जिन्दगी बितानी है। हमारी लाज अब तुम्हारे हाथ है।

रिश्ता एक पेटी से

दादा जी ने मांगी दस-दस पेटी, जब जब रिश्ते आते थे।
उनका भी कोई कसूर नहीं, वे नगर सेठ कहलाते थे।।
अब दादा जी तो रहे नहीं, हो गये राम के प्यारे।
वालिदेन (माता-पिता) अब तुम्हीं सुनो, अब ये बोल हमारे।।
उम्र पकती जा रही हैं, फल पकते-पकते होते जा रहे हैं खारे।
सांच कहे बिना बहू हम हैं सारे दुखियारे।।
ऐ रहमते दो आलम, तू ही सुन, ना रख हमें कंवारे।
कांनी, लूली, लंगड़ी भेज दे, हालात ऐसे हैं सब चलेगा प्यारे।।

दहेज के लोभियों सावधान

नौजवां अब होश में आ,
नकार दे इस दहेज को।
वरना वक्त आ रहा है कि दुल्हन के
लिए छीना झपटी हो।।
वही ले जाऐगा दुल्हन,
जिसकी जेब में रकम हो।
और स्वभाव से धुर्त व महाकपटी हो।।
दहेज के बिना पर जला अपनी बीवी को।
बदकिस्मत हैं वो शक्स जो साया तलाश करता है।।
वो क्या करेगा कद्र शरीके हयात की।
जिसकी नज़र में प्यार की कीमत दहेज है।।
सौदागिरी छोड़ इबादत खुदा की कर।
इस इबादत से आगे तेरा घर बसेगा।।

त्रिशक्ति की शक्ति

त्रिशक्ति का रूप है तू, सृष्टि का आधार है तू।
लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती तीन रूप में साकार है तू।।
दिपावली पर लक्ष्मी का पूजन कर, लक्ष्मी का तो वास चाहते हैं।
ऐसी अनमोल देवीयों का फिर क्यों सर्वनाश चाहते हैं।।
मातृ शक्ति तुम्हीं इसी रूप में आओ।
दृढ़ प्रतिज्ञा कर, भ्रूण हत्या से निजात दिलवाओ।।

मां से आग्रह.....

मेरा कहना मान तू आगे आ, जग के पीछे न भागे जा।
बापू को पूंछ हिलाऊं बनां, अपने को मुंह फुआऊं बना।।
थोड़ी सी अगर तू श़ख्त बनीं।
मेरी जिन्दगी समझो अपनी बनी।।

बापू से आग्रह.....

दुर्गा से ली तूने शक्ति।
अगर इनमें है तेरी भक्ति।
ममता रख दिल में अपने जरा, हत्या करवा, हैवान न बन।।
खुदा के डर से खौफ ही खा, इन्सान से तू शैतान न बन।

मां से आग्रह.....

वैमनस्य से निराकार है तू वात्सल्यता से सरोकार है तू।
अपनी शक्ति पहचानो मां, दुनिया की जरूरत भी जानो मां।।
पुरजोर से मां जननी बन मेरी, अपने मन से तू मननी मेरी।

गर तू दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाऐगी, तो भ्रूण हत्या मिट जाऐगी।।

कैसे किसी गरीब की बेटी बने दुल्हन।
रिश्ते तलाश होते हैं जागीर देखकर।।

हर गली हर शहर में है, किस्सा दहेज का।
दुनियां का यह रिवाज है, अच्छा दहेज का।।
लड़के का जन्म हो तो कहते हैं फक्र से।
एक लाख का टिकट है बच्चा दहेज का।।

लड़की की मां की तो नींदें हराम हो चुकी।
अब रोज सुनने को आ रहा है, चर्चा दहेज का।।
जिनके घरों में बेटियां हैं, कोई उनसे पूछिए।
किस तरह उठा सकेंगे खर्चा दहेज का।।

कितनी ही लड़कियों को मारा दहेज ने।
अफसोस फिर भी खत्म ना हो रहा है चर्चा दहेज का।।
कितनी शर्म की बात है, यह सोचो दोस्तों।
कुछ अपने मुंह से मांगना, हिस्सा दहेज का।।

''आदमी होके मांग क्यों करते हो, ये सलीका है महज औरतों का।
ध्यान दीजिए ये वो शै है जो बांट देती है सर के बालों को भी।।''

खुदा का यह पैगाम मान इस पर करो विचार।
कि दुल्हन ही बेहतरीन तौफा है दहेज का।।

कन्या का वध करने वाले,

पापी हैं, हत्यारे हैं।

भ्रूण हत्या पाप है, साथ ही अपराध है।

मॉ नहीं वह डायन है, जिसने कन्या भ्रूण मिटाया,
निज हाथों से फुलवारी का, फूल तोड़कर धूल मिलाया।
ग़र कन्या भ्रूण गिराओगी, खूनी माता कहलाओगी,
जब बेटी को जन्माओगी, तब देवी मॉ बन पाओगी।
बिन हरियाली धरती माता, बॅजर ही कहलाएगी,
कन्याओं के बिना जगत की, हस्ती ही मिट जायेगी।
बालिका भ्रूण को गिराना अति भयॅकर भूल है,
बालिका है देवी रूपा, समृद्धि का मूल है।
केवल बेटा पाने खातिर, तुम कन्या भ्रूण मिटाओगे,
जरा सोचिए बेटे खातिर, बहू कहां से लाओगे।
सुत-सुता में भेद-भाव कर, कन्या गर्भ गिराओ मत,
सामाजिक ताने-बाने को, जड़ से आप मिटाओ मत।
कन्याओं को बोझ मानकर, उनको ना ठुकराओ तुम,
पुत्र पाने की चाहत में, कातिल मत बन जाओ तुम।
नारी की पूजा जहां होती, करते निवास वहीं देवता,
नारी रूप विजय लक्ष्मी का, नारी होती अपराजिता।
आठ वर्ष से साठ वर्ष तक, कर्मयोगिनी रूप है नारी,
अन्तिम शोणित के कतरे तक, पीयुष पान कराती नारी।
सृष्टि का आधा अंग है नारी, त्याग तप की मूर्त है,

नारी नाम है कुर्बानी का, नारायणी की सूरत है।

कन्या रूप है मन्दिर का, कन्या पूजा की थाली है,
कन्या है देवी की प्रतिमा, कन्या जग की रखवाली है।
हर आंगन की तुलसी नारी, नारी है फूलों की क्यारी,
नारी का सानी ना कोई, नारी है दुनिया से न्यारी।
कन्या भ्रूण नष्ट करना, दानवों का काम है।
नारी पूजक देश आज, खूब हुआ बदनाम है।
कन्या है श्रृंगार जगत की, देवी की अवतार है,
खुद ही नैया, खुद ही माझी, और खुद ही पतवार है।
गर्भपात जननी माता का, अति घृणित अपमान है,
कन्याओं को गले लगाओ, यही उचित सम्मान है।
कन्याओं का वंश मिटाना, कंस जनों का काम है,
बेटियों को शिक्षित करना, बहुत बड़ा ही काम है।
लड़का-लड़की में भेद करना, मूर्खों का कर्म है,
जो कन्या को बोझ समझता, मूर्ख है, बेशर्म है।
सीता, राधा, रूकमणी, भारत की थी बेटियां,
दुनिया में आगे बढ़ीं, भारत की अब बेटियां।
नारी बिन संसार सूना, जानता है हर कोई,
नारी कारक सिद्धि-सिद्धि की, मानता है हर कोई।
नारी है आधार जगत की, ईश्वर का वरदान है,
नारी है तो दुनिया है, वरना जग शमशान है।

बाल-बालिका एक समान, मात-पिता सब करें विचार,
तब ही जाकर रूक सकेगा, कन्या भ्रूणों का संहार।

कन्या सेतू दो कुलों की, पीहर और ससुराल,
जीवन भर शुभ सोचती, अपने बाबुल का हाल।

आज युग में नहीं हैं पीछे, बेटों से कोई बेटी,
कोई डी.सी., कोई जज बनी, कोई नासा यान में बैठी।

नारी ही नारायणी है, बीज का आधार है,
बिन नारी के संसार की, कल्पना बेकार है।

मान लो सब राय मेरी, कन्या का वध छोड़ दो,
बेटी को कमजोर समझने, की कवायद छोड़ दो।

मक्खन लाल तंवर,
प्रवक्ता हिन्दी,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण
संस्थान, महेन्द्रगढ़।

कन्याओं का परम उपासक,
अपना हिन्दुस्तान है।

सात समंदर पार भी बेहाल

''अबके जन्म मोहे बिटिया न दीजो'' जैसी मन्नतें भारत की बेटियां हमेशा से करती रही हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि एक अदद बेटे की चाह में बेटियों को गर्भ में ही मार देने की साजिश और नृशंसता उन देशों में भी जारी है जिन्हें विकसित कहा जाता है। जी हां भारत ही नहीं विदेशों तक में रहने वाले अनेक पढ़े-लिखे और सम्पन्न भारतीय एक अदद बेटे की चाह में गर्भ में पल रहे भ्रूण का परीक्षण कराकर बेटी होने की स्थिति में उससे निजात पाने के लिए अपने मुल्क आते हैं क्योंकि यहां सस्ते में और बिना किसी खास परेशानी के इस कृत्य को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है।

बेटीयों को गर्भ में ही मार देने का अमानवीय कृत्य सदियों से होता आया है। कभी उसे गर्भ में ही मार देने के रूप में तो कभी पैदा होने के बाद नमक चटाकर, धान का भूसा मुंह में ठूसकर या चारपाई के पाये से बांधकर। इसका नया पहलू यह है कि आधुनिक होने का दम भरने वाले और भौतिक सुविधाओं से संपन्न सात समंदर पार विकसित देशों में बसे इन भारतीयों की मानसिकता भी वही सदियों पुरानी है कि वंश को आगे बढ़ाने और चिता को आग देने के लिए एक अदद बेटा चाहिए ही चाहिए। चाहे वह कई बेटियों को गर्भ में मारने के बाद ही क्यों ना पैदा हो।

ब्रिटेन जैसे देशों में गर्भपात के नियम बहुत कड़े हैं। वहां तो सिर्फ दो ही वर्ग हैं। एक है प्रो-लाइफ लॉबी -- यानी जो जीवन को भगवान की नियामत मानते हुए कहती है कि गर्भधारण के बाद भ्रूण को नष्ट करने का अधिकार मानव को नहीं है।

दूसरी हैं प्रो-च्वाइस लॉबी -- यानी बच्चा ना चाहने की स्थिति में गर्भपात करा सकते हैं। लेकिन लड़के की चाहत में वहां कन्या भ्रूण को मारने का कोई उदाहरण नहीं है। केवल दो बच्चों की मानसिकता ने भी समाज में भ्रूण हत्याओं के अनुपात में बढ़ोतरी की है। इसलिए पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से सम्पन्न तबके में यह ज्यादा देखने को मिलते हैं। हिन्दुस्तान में 1985 से अल्ट्रासांउड की सुविधा उपलब्ध है और 1989-1990 से इस सुविधा का लिंग परीक्षण के रूप में जमकर दुरूपयोग हो रहा है।

दिल्ली मैडिकल ऐसोसिऐशन ने पिछले दिनों विश्व जनसंख्या दिवस पर स्त्री रोग विशेषज्ञों से अपील की है कि वे बारह से बीस हफ्ते की अवधि वाले भ्रूण का सिर्फ दंपति के कहने भर से गर्भपात न करें क्योंकि इस अवधि में कराये जाने वाले 95 प्रतिशत गर्भपात लिंग परीक्षण के बाद कराये जाते हैं।

लिंग जॉच कर गर्भ गिराना,
मानवता पर दाग है।

प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व निवारक तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994

(PNDT Act, 1994)

क्या है पीएनडीटी एक्ट

सरकार द्वारा भ्रूण हत्या पर रोकथाम के लिए लिंग चयन तथा प्रसव पूर्व निदान तकनीक के लिए 1994 में एक अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम के अनुसार भ्रूण हत्या व लिंगानुपात को कम करने के लिए कुछ नियम लागू किये हैं। जैसे कि इन नियमों के अनुसार :

- रजिस्ट्रेशन करवाये बिना कोई व्यक्ति पीएनडीटी अर्थात अल्ट्रासाउंड मशीनें आदि का प्रयोग नहीं करेगा।
- जांच केन्द्र पर यह लिखवाना अनिवार्य है कि भ्रूण की जांच करना मना है।
- कोई भी व्यक्ति अपने घर पर लिंग जांच की तकनीक का प्रयोग नहीं करेगा व इसके साथ ही कोई व्यक्ति लिंग जांचने के लिए मशीनों का प्रयोग नहीं करेगा।
- गर्भवती महिला को उसके परिजनों द्वारा लिंग जांचने के लिए प्रेरित करना आदि भ्रूण हत्या को बढ़ावा देने वाली अनेक बातें इस अधिनियम में शामिल की गई हैं।
- पहली बार पकड़े जाने पर उक्त अधिनियम के तहत तीन वर्ष तक का कारावास एवं 50,000 रूप्ये तक का जुर्माना हो सकता है।
- दूसरी बार पकड़े जाने पर 5 वर्ष का कारावास एवं एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है।''

हरियाणा नारी विहीन समाज की ओर

हर समाज में दहेज के लेन-देन का धन्धा बेखौफ फल-फूल रहा है जिसे देख कर अन्दाजा हो रहा है कि आने वाले चन्द सालों में लड़कियों की तादाद बहुत कम हो जाएगी। यही आलम रहा तो अगले 50 साल बाद मर्द 1000 औरतें 100 हो जाएंगी। स्त्रोत : दैनिक भास्कर, मंगलवार 20 सितम्बर 2005।

<u>इपॉज हैल्थ कंसल्टेंट्स की स्टडी के अनुसार हरियाणा नारी विहीन समाज की ओर</u>

पिछले छः सालों में हरियाणा में जन्मे बच्चों की सैक्स अनुपात में 49 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस अनुपात को एक साल में कुल आबादी के लिए 16 प्रतिशत की गिरावट गिना जा रहा है। इपॉज हैल्थ कंसल्टेंट्स की स्टडी कहती है कि यदि गिरावट का यहीं ट्रेंड बरकरार रहा तो अगले 25 सालों में प्रति 1000 पुरूष महिलाओं की संख्या 500 रह जाएगी। 40 वर्ष में यह संख्या प्रति 1000 पुरूषों के पीछे 250 रह जाएगी। और 50 वर्ष में यह संख्या 100 रह जाने का अन्देशा है। स्टडी के आयोजक डॉ. पदम सिंह और डॉ. राहुल देव भावसा का मानना है कि हरियाणा में तुरन्त टारगेटिड इन्टरेशन प्रोग्राम की जरूरत है जिससे इस ट्रेंड को रोका जा सके। यह स्टडी पूरी तरह सेन्सस द्वारा प्रमाणित आंकड़ों पर आधारित है। विभिन्न आयामों से आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए तैयार की गई इस स्टडी में पानीपत को

फोकस किया गया है। इसमें वहां की भौगोलिक व सामाजिक स्थिति के साथ पेश किया गया है। साथ ही वहां के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात के आंकड़े भी दर्शाए गये हैं। प्रदेश में कुल 9.3 प्रतिशत आबादी ऐसी है जो 800 से कम लिंगानुपात का प्रतिनिधित्व करती है। 22.5 प्रतिशत आबादी ऐसी है जो 800 से 850 प्रति हजार आंकड़ों में है। 38.5 प्रतिशत है जहां प्रति हजार पुरूषों के पीछे 850 से 900 तक महिलाएं हैं। कुल 29.9 फीसदी आबादी ऐसी है जहां यह अनुपात 900 या उससे कुछ ज्यादा तक पंहुचा है। काबिले जिक्र है कि पंजाब के बाद हरियाणा ऐसा प्रदेश है जो प्रति हजार पुरूषों के पीछे महिलाओं के अनुपात में कमतर है। 2001 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय अनुपात 933 के मुकाबले हरियाणा में यह अनुपात 861 तक पंहुचा और 0 से 6 की उम्र में यह अनुपात महज 820 दर्ज किया गया। स्टडी में इस बात पर चिन्ता प्रकट की गई है कि इस लिंगानुपात के बरकरार रहने से स्थिति और बिगड़ेगी। क्योंकि फिल्हाल यह ट्रेंड सीमित क्षेत्रों में है। लेकिन बाद इसके प्रदेश भर में फैल जाने का खतरा है। पानीपत जिले के सन्दर्भ में स्टडी कहती है इस जिले के जिन गावों में मुख्यालय 1 कि.मी. की दूरी पर है वहां लगभग 800 से या कुछ ज्यादा ही लिंगानुपात है। स्टडी में जांचे गए 32 से 26 मामलों में यह तथ्य सही साबित हुआ। इन क्षेत्रों में महिला साक्षरता की दर 40 फीसदी दर्ज की गई। पानीपत के कुल गांवों और शहरी क्षेत्रों के 67 वार्ड हैं जहां प्रति हजार लड़कों

के पीछे 0-6 की उम्र वाली लड़कियों की संख्या 750 या इसके आस-पास रह गई है। व्यस्कों से अगर बात करें तो इस शहर में 32 ऐसे वार्ड हैं जहां 800 या इसके आसपास का लिंगानुपात है। जबकि शहर में 69 वार्ड ऐसे हैं जहां यही लिंगानुपात दिखता है 800 से 850 का लिंगानुपात दिखाने वाले गांवों की संख्या 58 है।

वर्ष	भारत	हरियाणा	पानीपत
1991	927	865	927
2001	933	861	829

यह आंकड़ा 0-6 वर्ष की उम्र वाले बच्चों का है।

कन्या सिर पर भार नहीं,
कन्या बिन परिवार नहीं।

जिलेवार वर्तमान में घटता लिंगानुपात सबसे कम

जिलेवार लिंगानुपात (0-6 वर्ष) की जिलेवार स्थिति

जिला	लिंगानुपात	जिला	लिंगानुपात
कुरूक्षेत्र	771	सिरसा	817
अंबाला	782	जींद	818
सोनीपत	788	महेन्द्रगढ़	818
कैथल	791	फतेहाबाद	828
रोहतक	799	पंचकुला	829
झज्जर	801	हिसार	832
यमुनानगर	806	भिवानी	841
करनाल	809	फरीदाबाद	850
पानीपत	809	गुड़गांव	858
रिवाड़ी	811		

भ्रूण हत्या पाप है,
जननी का संताप है।

गर्भपात कराने में मां को भी खतरे

गर्भपात या भ्रूण हत्या से जहां एक ओर निरपराध गर्भस्थ शिशु की निर्मम हत्या होती है वहीं दूसरी ओर गर्भपात कराने वाली मां को भी कई जटिलताऐं तत्कालिक प्रभाव वाली व कुछ दीर्घकालिक प्रभाव वाली होती हैं जो मां को न केवल आगे के लिए बांझ बना सकती है बल्कि उसकी जान तक को खतरा उत्पन्न कर सकती है।

तत्कालिक जटिलताएं

1. (Haemorrhage) रक्त-स्त्राव :- गर्भपात के दौरान रक्त की हानि होने के कारण मां को खतरा हो सकता है व रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है।
2. (Infection) रोग संक्रमण :- गर्भपात के दौरान गर्भस्थ शिशु के शरीर का कोई कटा फटा अंग या भाग गर्भाशय में बचा रह जाने पर या ऑपरेशन के समय कोई अन्य कमी रह जाने की अवस्था में टयूबल इन्फैक्शन हो सकता है व आगे के लिए वह बांझ भी बन सकती है।
3. (Damaged Cervix) :- गर्भपात के दौरान औजारों के प्रयोग के लिए जो गर्भाशय का मुख खोलना पड़ता है उससे उसको आघात लगने पर भविष्य में स्वतः गर्भपात

हो जाने अथवा समय पूर्व ही शिशु को जन्म होने की व्यवस्था हो सकती है।

4. (Perforation of the Uterus) गर्भाश्य में छेद होनाः- गर्भपात के लिए प्रयोग किए गए औजार से बच्चेदानी में छेद हो सकता है और परिणामस्वरूप उसे निकालना भी पड़ सकता है और स्त्री आगे के लिए बांझ भी बन सकती है।

5. (Perforation of the Bowl) आंतड़ियों में सुराख होनाः- गर्भपात में प्रयुक्त औजारों से आंतड़ियों में सुराख हो सकता है।

दीर्घकालीन जटिलताएं

1. (Stillborn and Handicapped Babies) मृत अथवा अपंग बच्चेः- जिन स्त्रियों का रक्त RH-Negative (RH-ve) होता है और जिन्हें गर्भ के बाद RHO-gam नहीं मिल पाता, उनकी भावी सन्तान को ऐसा खतरा उत्पन्न हो सकता है।

2. (Miscarriages) गर्भस्त्रावः- जिन स्त्रियों ने गर्भपात कराया होता है उन्हे गर्भस्त्राव का खतरा 35% अधिक होता है।

3. (Impaired Child- bearing ability) विकृत गर्भ क्षमताः– गर्भपात के बाद होने वाली आगामी सन्तानों की उत्पत्ति में जन्मते समय जटिलता उत्पन्न हो सकती है।
4. (Premature births) अवधि पुर्व जन्म :– अधिक गर्भपात करा लेने पर समय से पूर्व ही बच्चे के जन्म हो जाने का खतरा 2 से 3.3 गुणा बढ़ जाता है।
5. (Low Birth Weight) कम वजन के शिशु का होना :– गर्भपात के बाद होने वाली आगामी सन्तान कम भार वाली होने का खतरा 2 से 2.25 गुणा बढ़ जाता है।
6. (Ectopic Pregenancies) बच्चे का फैलोपियन टयूब में बढ़ना :– इसमें मां की जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है क्योंकि बच्चा गर्भाशय की बजाए फैलोपियन टयूब (Falliopian Tube) में बढ़ता है। इस प्रकार की घ ाटनाओं की काफी बढ़ोतरी हो गई है। इसमें तत्काल ऑपरेशन करना पड़ता है।

गर्भपात कराने के बाद होने वाली हानियों के बारे में हुए सर्वेक्षणों व वैज्ञानिकों के मत :–

शाकाहार क्रान्ति नवम्बर–दिसम्बर, 89 में छपे लेख के अनुसार स्त्रियां गर्भ हत्या तो करवा देती हैं लेकिन फिर पूरे जीवनभर पीड़ा पाती हैं। शरीर रोगों का म्यूज़ियम बन जाता है। घ

ार कलह और कलेश की रणस्थली बन जाता है। संपूर्ण परिवार अशांति और दुख की भीषण ज्वालाओं में झुलसता रहता है।

गर्भपात कराने वाली लड़कियों में से एक तिहाई ऐसी बीमारियों की शिकार हो जाती हैं कि फिर कभी वे सन्तान पैदा नहीं कर सकती। (टोरंटो कनाडा के 1970 वाले अनुसंधान के अनुसार)।

जितना खतरा प्रसव काल में होता है उससे दुगना गर्भपात में होता है।

जापान के (Nagode Survey 1968) के अनुसार गर्भपात कराने वाली महिलाओं में से 30% से अधिक महिलाओं को आगे चलकर मानसिक कठिनाईयों की शिकायत होती है।

विश्व में प्रतिवर्ष होने वाले पांच करोड़ गर्भपातों में से करीब आधे गैर कानूनी होते हैं, जिनमें करीब 2 लाख स्त्रियां प्रतिवर्ष मर जाती हैं और करीब 60 से 80 लाख पूरी उम्र के लिए रोगों का शिकार हो जाती हैं।

संविधान के अन्तर्गत बेटियों को भी जन्म लेने और गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है।
भ्रूण की लिंग जॉच एवम् कन्या भ्रूण हत्या दण्डनीय अपराध है।

भ्रूण नाश करवाएंगे,
घोर नरक में जाएँगे।

प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व निवारक तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 (PNDT Act, 1994)

इस कानून की आवश्यकता क्यों हुई?

यह सत्य है कि लिंग अनुपात में निरन्तर कमी के कारण यह कानून बनाना जरूरी हो गया था, जिसका उद्देश्य है :-

- प्रसवधारण से पहले और बाद भ्रूण के लिंग की जांच को रोकना।
- प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व निवारक तकनीक (लिंग चयन निषेध) का लिंग जांच/निर्धारण के लिए दुरुपयोग प्रतिबन्धित करना।
- प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व निवारक तकनीक का सही ढ़ंग से विधिपूर्वक प्रयोग करना ।

इस कानून के अन्तर्गत अपराध क्या हैं ?

- प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व लिंग चयन जिसमें शामिल है, प्रयोग का तरीका, सलाह और कोई भी उपबन्ध और जिससे यह सुनिश्चित होता हो कि लड़के के जन्म की सम्भावनाओं को बढ़ावा मिल रहा हो, जिसमें आर्युर्वेदिक दवाईयां और अन्य कोई वैकल्पिक चिकित्सा

और पूर्व गर्भधारण विधियां/प्रयोग जैसे कि एरिकशन विधि का प्रयोग, इस चिकित्सा के द्वारा लड़के के जन्म की सम्भावना का पता लगता है, शामिल है ।

- प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व के तरीकों का दुरूपयोग चाहे किसी योग्य व्यक्ति द्वारा लिंग निर्धारण और वैसे हालातों में इन तरीकों द्वारा किया गया हो जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत न आते हों।
- जो व्यक्ति मानदेय पर कार्य कर रहा है और उसके पास अधिनियम में निर्धारित की गई योग्यता और अनुभव/प्रशिक्षण भी नहीं है उसे प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व का निर्धारण करना भी शामिल है।
- पति या स्वयं पत्नी द्वारा, जहां तक कि उसको इस विधि का प्रयोग करने के लिए मजबूर न किया गया हो, के बारे में प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व की विधि के बारे में किसी महिला या पुरूष या किसी रिश्तेदार द्वारा लिंग निर्धारण के दुरूपयोग के बारे में बतलाना या उत्साहित करना।
- किसी व्यक्ति द्वारा, जो कि प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व की तकनीक का प्रयोग कर रहा है, के द्वारा भ्रूण के लिंग के बारे में पत्नी या उसके पति या उसके रिश्तेदार को शब्दों द्वारा, इशारों द्वारा या किसी अन्य तरीके द्वारा बताना।

- प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व से पहले या बाद भ्रूण के लिंग में चयन की सुविधा के बारे में किसी प्रकार का इश्तिहार या प्रकाशन और पत्र आदि निकालना। इस प्रकार का विज्ञापन चाहे किसी भी तरह का हो जैसे कि सूचना, पत्र, पोस्टर या अन्य कोई पत्र, विज्ञापन, इन्टरनेट द्वारा या किसी अन्य इलेक्ट्रोनिक मीडिया और इलेक्ट्रोनिक प्रिन्ट मीडिया या प्रिन्ट के रूप में होर्डिंग, दीवार में छापना, इशारा, प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस।
- उन स्थानों का पंजीकरण न करना जहां पर प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व के प्रयोग का संचालन किया जा रहा है। जैसे कि जनन उत्पति सम्बन्धी समझौता केन्द्र (प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व, दोनों प्रकार के तरीके और प्रयोग के बारे में सलाह देना, जनन उत्पति प्रयोगशाला (प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व प्रयोग) जिसमें ऐसे वाहन भी शामिल हैं जो जनन उत्पति क्लीनिक के तौर पर प्रयोग किये जा रहे हैं।
- ऐसे गैर पंजीकृत स्थानों जहां पर प्रसवपूर्व और प्रसवध ाारणपूर्व के प्रयोग किये जा रहे हैं।
- ऐसी मशीनों या उनके हिस्सों को किसी गैर पंजीकृत संस्था या ऐसे किसी चिकित्सा पेशेवर, जिनके द्वारा भ्रूण के लिंग का पता चलता हो, को बेचना।

- चिकित्सा रिकार्ड (कानून के तहत फार्म डी, ई और एफ) के ब्यौरे का सही रख-रखाव न रखना।
- प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व वाले प्रयोग करने वालों के द्वारा अपने पंजीकृत सर्टीफिकेट को अपने क्लीनिक में किसी मुख्य स्थान पर न दर्शाना।
- प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व प्रयोग करने वाले के द्वारा प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व निवारक तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 (PNDT Act, 1994) को उपलब्ध न करवाना।
- इस कानून के अन्तर्गत प्रत्येक जुर्म संज्ञेय व गैर जमानती है और समझौता योग्य नहीं है।
- अगर यह अपराध किये जा रहे हैं तो आंखें बन्द करके न बैठें और इसकी शिकायत करें।

कन्या यदि अभिशाप है,
माँ बिन, कैसा बाप है।

भ्रूण हत्या से भविष्य में होने वाली घटनायें?

- पुरूषों के मुकाबले स्त्रियों के अनुपात में लगातार कमी।
- स्त्रियों के विरूद्ध यौन अपराधों में वृद्धि।
- बच्चों के प्रति यौन अपराधों में वृद्धि।
- यौन शोषण के लिए स्त्रियों की देह व्यापार में वृद्धि।
- स्त्रियों के विरूद्ध घरेलू और अन्य सभी तरह की हिंसा में वृद्धि।
- स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कमी।
- दुल्हन के मोलभाव और अन्य परिवर्तन जैसे सामाजिक, मातृक या पारिवारिक रिश्तों की घटनाओं में बढ़ावा।

यह एक झूठ है कि जनसंख्या में स्त्रियों की कमी से समाज में स्त्रियों का रुतबा बढ़ेगा।

नर–नारी में समता हो,
सुखिया सारी जनता हो।

इस कानून के तहत क्या सुविधाएं हैं ?

यह कानून प्रसवपूर्व निवारक तकनीक केवल क्रोमोसोम्स की अनियमितता, जनन उत्पति बीमारी, हीमोग्लोबिन, यौन प्रक्रिया, जन्मजात अनियमितता/बीमारियां जो कि भ्रूण में इस कानून के तहत वर्णित की गई हैं, की जांच की अनुमति देता है।

परन्तु प्रसवपूर्व निवारक तकनीक का प्रयोग इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए केवल पंजीकृत स्थानों/शाखाओं (जिसमें वाहन भी सम्मिलित हैं) और केवल योग्य व्यक्तियों द्वारा ही किया जायेगा।

जब गर्भवती महिला या तो :-

- 35 वर्ष की उम्र से अधिक हो
- दो या अधिक बार स्वैच्छिक तौर पर गर्भपात कराया हो।
- विकृतांग सृजन करने वाला जैसे औषधि, विकीरण, रसायनिक, संक्रमण या शक्तिशाली घटना को अभिव्यक्त करना।
- जनन उत्पति से सम्बन्धित बीमारी या ऐसी वंशानुगत बीमारी जिसमें मानसिक कमजोरी के लक्षण हों।

इस शर्त पर कि महिला की अनुमति ली गई हो

या इस कानून में वर्णित या अन्य किसी दशा में (जैसे अल्ट्रासांउड का प्रयोग 23 प्रकार की दशाओं में करवाया जा सकता है) जो कि उक्त कानून के फार्म एफ में दर्शाये गये हैं जिसका कि सख्त तौर पर ब्यौरे का रख-रखाव जरूरी है।

यदि महिला के X क्रोमोसोम से पुरूष का X क्रोमोसोम मिलता है तो लड़की का जन्म होता है। यदि महिला का X क्रोमोसोम से पुरूष का Y क्रोमोसोम मिलता है तो लड़के का जन्म होता है। अतः पुरूष ही वह प्रधान कारक है जिसके क्रोमोसोम से लड़के या लड़की का जन्म तय होता है।

जीवन हर्ता, बनने वालों,
जीवन दाता बनना सीखो।

हमें क्या करना है?

- ऊपर लिखित अपराधों में से किसी भी अपराध में शामिल न हों और इस प्रकार के अपराधों के प्रति सतर्क रहें जो कि आपके आस पास हो रहे हों।
- इस कानून के तहत नियुक्त सक्षम अधिकारी को अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की शिकायत लिखित रूप में करें (जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO और उपमण्डल स्तर पर खण्ड विकास चिकित्सा अधिकार BMO) जो कि सभी ब्यौरे के साथ सक्षम अधिकारी यानि न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को शिकायत करेगा।
- यदि सक्षम अधिकारी आपकी शिकायत पर पन्द्रह दिनों के अन्दर कोई कदम नहीं उठाता है तो आप सीधे अपने क्षेत्र के न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत में जा सकते हो।
- इस कानून का उद्देश्य कार्य करने वाले दोषी व्यक्ति, जन्म उत्पति समझौता केन्द्र, क्लीनिक या प्रयोगशालाओं का पंजीयन निरस्त करना या रद्द करना या सख्त से सख्त सजा देना है।
- दोषी को सामाजिक बहिष्कार द्वारा शर्मिन्दा करना।

- उन मुकदमों में जिनमें सक्षम अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का निर्णय न लिया गया हो ऐसे मामलों की रिट पिटिशन दायर करना या इस कानून के तहत नियमों में किसी प्रकार की असामाजिक अनियमितता की जा रही हो।
- सम्बन्धित सामाजिक कार्यकर्ता, मानवधिकार कार्यकर्ता, वकील या सम्बन्धित चिकित्सा विशेषज्ञ आपकी सेवाओं का उपयोग कानूनी निकाय के कार्य पर नज़र और आवश्यक कदम उठाने के लिए ले सकता है।

परमेश्वर का यही विधान,
लड़का लड़की एक समान।

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चण्डीगढ़

प्राधिकरण समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है

"मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र कौन हैं"

- अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग के सदस्य;
- अनैतिक अत्याचार के शिकार लोग या ऐसे लोग जिनसे बेगार करवायी जाती है;
- महिला;
- बच्चा;
- मानसिक रोगी एवं विकलॉग;
- अनपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताये हुए व्यक्ति;
- औद्योगिक श्रमिक;
- जेल, किशोर गृह, मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम में रखे गये व्यक्ति;
- ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 50,000/- से कम है;
- भूतपूर्व सैनिकों तथा ऐसे व्यक्तियों के परिवारों को जो युद्ध में मारे गए हों;
- दंगा पीड़ितों और ऐसे व्यक्तियों के परिवारों तथा आतंकवादी पीड़ितों और ऐसे व्यक्तियों के परिवारों को; या
- स्वतंत्रता सैनानियों को।

"मुफ्त कानूनी सहायता के लिए सम्पर्क करें"

हाई कोर्ट के लिए	:	सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एस.सी.ओ.142-143, सैक्टर 34-ए, चण्डीगढ़-160022,
जिला न्यायालय के लिए	:	अध्यक्ष (जिला एवं सत्र न्यायाधीश)/सचिव (चीफ जुडिशयल मैजिस्ट्रेट), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
उप-मण्डल न्यायालय के लिए	:	अध्यक्ष (वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी), उप-मण्डल विधिक सेवा समिति।